कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक-1158/दो-11-2/2020, रामानुजगंज, दिनांक 22 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि :-

बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) जिला न्यायालय स्थापना के अन्तर्गत रिक्त 09 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक-01/2026 रामानुजगंज, दिनांक 22.07.2026 की छायाप्रति :

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय (विज्ञापन शाखा), इन्द्रावती भवन, खण्ड-अ, भूतल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर रोजगार एवं नियोजन, प्रादेशिक समाचार पत्रों तथा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये जाने एवं प्रकाशित विज्ञप्ति वाले समाचार पत्रों की एक-एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने बाबत्।
3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर/रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कोरबा/धमतरी/जशपुर/रायगढ़/जांजगीर-चांपा/कबीरधाम (कवर्धा)/बस्तर स्थान जगदलपुर/दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा/महासमुंद/उत्तर बस्तर कांकेर/कोरिया (बैकुण्ठपुर)/सरगुजा (अम्बिकापुर)/बालोद/बेमेतरा/सूरजपुर/बलौदाबाजार/कोंडागांव/मुंगेली (छ.ग.) की ओर सूचना पटल पर चस्पा किये जाने बाबत्।
4. प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश, (परिवार न्यायालय), बिलासपुर/रायपुर/दुर्ग/कोरबा/रायगढ़/सरगुजा (अम्बिकापुर)/कोरिया/राजनांदगांव/जांजगीर-चांपा/जगदलपुर/कबीरधाम/कांकेर/महासमुंद/धमतरी/जशुपर/बेमेतरा/बलौदाबाजार/सूरजपुर (छ.ग.) की ओर सूचना पटल पर चस्पा किये जाने बाबत्।
5. न्यायाधीश, कॉमर्शियल कोर्ट, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचना पटल पर चस्पा किये जाने बाबत्।
6. जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बलरामपुर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, रामानुजगंज/बलरामपुर/राजपुर/वाड्रफनगर की ओर सूचना पटल पर चस्पा किये जाने बाबत्।
8. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी (NIC), बलरामपुर एवं सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज की ओर जिला न्यायालय, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत् प्रेषित।

संलग्न :- विज्ञापन की छायाप्रति।

(हिमंत सराफ)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)

//सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन//

विज्ञापन क्रमांक–**01/2026**

रामानुजगंज, दिनांक 22.07.2026

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि – 14/08/2026
दिन– शुक्रवार की संध्या 05:00 बजे तक

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) स्थापना के अंतर्गत स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड–3 (निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक) के निम्न पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व विज्ञापन के अंत में संलग्न महत्वपूर्ण निर्देश का आवश्यक रूप से अवलोकन करें।

रिक्त पदों का विवरण

रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
		अ0ज0जा0				अ0जा0				अ0पि0वर्ग							
		मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
तृतीय श्रेणी पद																	
स्टेनोग्राफर ग्रेड–3 (अंग्रेजी)	01	–	–	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सहायक ग्रेड–3	08	03	02	01	–	–	–	–	–	01	–	–	–	01	–	–	–
	(निष्पादन लिपिक–02, साक्ष्य लेखक–04 एवं आदेशिका लेखक–02, कुल–08 पद)																
योग	09	03	02	01	–	01	–	–	–	01	–	–	–	01	–	–	–

(अध्यक्ष)
भर्ती समिति
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)

महत्वपूर्ण टीप :-

1. आवश्यकतानुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।
2. विज्ञापित रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया और नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में प्रस्तुत एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के WPC No. 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित किये जानेवाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) पद के लिए –

(अ) वेतनमान :- वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 (28700-91300)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. मान्यता प्राप्त शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण।
3. कम्प्यूटर में अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान।
4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी।
5. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

(2) सहायक ग्रेड-3 के समकक्ष (निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक) पद के लिए –

(अ) वेतनमान :- वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 (19500-62000)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।
3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान।
4. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें

A. सीधी भर्ती हेतु पात्रता –

(1) वह भारत का नागरिक हो :

(2) उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है परन्तु शासन द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु पूर्ण नहीं की है,

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि वर्गों के सदस्यों हेतु उच्चतर आयु सीमा शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शिथिलनीय होगी,

(4) विधवा, निराश्रित एवं तलाकशुदा, महिला अभ्यर्थियों हेतु भी उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी,

(अध्यक्ष)
भर्ती समिति
प्रधान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)

<u>स्पष्टीकरण</u> :- किसी महिला को निराश्रित माना जाएगा यदि उसके पास आय का कोई स्त्रोत नहीं है तथा उसका पति तथा उसके अभिभावक उसकी वित्तीय सहायता नहीं करते अथवा जिसके पास आय का कोई स्त्रोत है परन्तु उसकी आय राज्य शासन द्वारा निर्धारित धनराशि से अधिक नहीं है।

(5) सरकारी नीतियों के अनुसार परिवर्तन के अध्यधीन शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगा जो छत्तीसगढ़ शासन अथवा छत्तीसगढ़ शासन के स्वामित्व के मण्डल व निगम के स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारी है अथवा रह चुके हैं,

(6) "दिव्यांग'' अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

परन्तु यह कि किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा सभी वर्गों से सभी शिथिलताओं को सम्मिलित करते हुए भी 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>B. सेवा में नियुक्ति हेतु निरहर्ता :-</u>

(1) कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है।

(2) कोई व्यक्ति जिसकी/जिसका एक से अधिक पत्नी/पति जीवित हो वह सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

(3) कोई अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा जब तक उसे जिला चिकित्सा बोर्ड/सक्षम चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा पद पर नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय तौर पर स्वस्थ प्रमाणित नहीं किया गया हो।

परन्तु यह कि नियुक्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर चिकित्सकीय आरोग्य प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) की प्रस्तुति के अध्ययीन किसी अभ्यर्थी को अनंतिम तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। चिकित्सा बोर्ड द्वारा सेवा हेतु अनुपयुक्त पाए जाने पर अभ्यर्थी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

(4) अभ्यर्थी की ओर से उसकी अभ्यर्थिता हेतु किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को परीक्षा समिति द्वारा उसकी भर्ती हेतु निरहर्ता मानी जाएगी।

(5) कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि :-

(क) वह किसी विधि-विरूद्ध निकाय अथवा संगठन से जुड़ा हुआ है अथवा उसका सदस्य है या रह चुका है

अथवा

(ख) ऐसी किसी गतिविधि अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हो या उनसे जुड़ा हुआ है -

(I) जिसका उद्देश्य भारत के संविधान का विनाश हो,

(II) जिसका उद्देश्य हिंसा करते हुए विधि का संगठित उल्लेख अथवा विधि का विरोध करना हो,

(III) जो भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता के हितों तथा राज्य की सुरक्षा के विपरीत हो,

अथवा

(IV) नागरिकों के विभिन्न वर्गों में धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति अथवा समुदाय के आधार पर वैमनस्यता अथवा घृणा को बढ़ावा देता हो,

अथवा

(अध्यक्ष)
भर्ती समिति
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)

(ग) जिसे किसी भी शासकीय सेवा में भविष्य में नियोजन हेतु अयोग्य मानते हुए भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन अथवा उच्च न्यायालय के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है।

अथवा

(घ) जिले संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी उच्च न्यायालय द्वारा उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने से विवर्जित अथवा निरर्हित किया गया हो,

अथवा

(ड़) जो नैतिक अधमता समाहित किसी अपराध में दोषसिद्धि ठहराया जा चुका हो।

<u>आयु सीमा</u>

(3) उच्चतम आयु सीमा में छूट :-

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:-

3 (एक)(1)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

3 (एक)(2)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ.प्र.दिनांक 20.01.1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

3 (एक)(3)- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेंगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

3 (एक)(4)- ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>स्पष्टीकरण</u> :- *छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।*

3 (एक)(5)- ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3 (एक)(6)- महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

(अध्यक्ष)
भर्ती समिति
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)

3 (एक)(7)- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 1 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

3 (एक)(8)- स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3 (एक)(9)- विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।

3 (दो)(1)- आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियो के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी.3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के सन्दर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3 (दो)(2)- विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी.3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3 (दो)(3)- शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.19-2/2005/1-3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

<u>टीप</u> :- (1) बिंन्दु क्रमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

<u>उदाहरण</u> :- *यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जावेगी। अंतरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जावेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयु की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा,*

(अध्यक्ष)
भर्ती समिति
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)

अतः विक्रय पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जावेगी।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पात्रता की अन्य शर्तें

(1) रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)।

(2) (अ) कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(ब) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसके पहले एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(3) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु **दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो,** परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वह छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। आयु संबंधी प्रमाण के लिए हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा के प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होगा जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(4) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हताओं की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी/चयन समाप्त की जाएगी। नियुक्ति पश्चात जांच में किसी भी समय अनर्ह पाए जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।

(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों

(अध्यक्ष)
भर्ती समिति
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)

की तुलना में विचार किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थी को ही विचारित किया जावेगा।

(6) आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।

(7) महिलाओं नियमानुसार होरिजोंटल आरक्षण दिया जावेगा। लेकिन किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसी रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(8) यदि अभ्यर्थी कोई अन्य छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।

(9) परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर उसे आगे केवल एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसके पश्चात भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बतायें समाप्त की जा सकेंगी।

(10) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगें उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।

(11) भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समस्त जानकारी (जैसे पात्र/अपात्र सूची, रोल नम्बर, प्रवेश पत्र, सूचना पत्र इत्यादि) अधिकारिक वेबसाइट **https://balrampur.dcourts.gov.in** पर समय-समय पर अपलोड की जाएगी तथा अपलोड किए जाने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से दी जावेगी। जिला न्यायालय बलरामपुर स्थान रामानुजगंज के सूचना बोर्ड पर भी सूचना चस्पा की जावेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटाई (Short & listing) की प्रक्रिया एवं मापदण्ड भर्ती समिति द्वारा निर्णित किया जावेगा, जो अंतिम होगा।

(12) यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया संबंधी सूचना विलम्ब से प्राप्त होती है तो, उसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहें और दिये गये वेबसाईट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

(13) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(14) लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

(15) अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा (जो भी लागू हो) में शामिल करने हेतु आवेदनों की शार्ट लिस्टींग की जावेगी, जिसका मापदण्ड नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित भर्ती समिति तय करेगी।

(16) अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

(अध्यक्ष)
भर्ती समिति
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)

(17) अपरिहार्य कारणों से किसी भी चरण की घोषित परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।

4. **शैक्षणिक अथवा तकनीकी योग्यता के उन्नयन हेतु परीक्षा मे आवेदन करने तथा सम्मिलित होने हेतु पूर्व अनुमति :**

किसी कर्मचारी को नियमित अभ्यर्थी के रूप में किसी शैक्षणिक अथवा तकनीकी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यद्यपि केवल नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के अध्यधीन उसे पत्राचार प्रणाली के माध्यम से अथवा स्वाध्यायी (निजी) अभ्यर्थी के तौर पर योग्यता के उन्नयन हेतु आयोजित शैक्षणिक परीक्षा हेतु आवेदन कर उसमें सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है।

5. **आयु की गणना की तिथि :-**

आयु सीमा की गणना भर्ती के सामयिक वर्ष के 1 जनवरी से की जाएगी।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1- आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में "**आवेदित पद का नाम :-** .... " के पद हेतु आवेदन पत्र" लिखा हो, **कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.), पिन कोड नम्बर 497220** के पते पर "व्यक्तिगत रूप से न्यायालय परिसर में रखे ड्राप बॉक्स में अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट/कोरियर" द्वारा **अंतिम दिनांक 14.08. 2026 दिन-शुक्रवार की संध्या 05:00 बजे के पूर्व** भेजे जा सकेगें अन्य किसी माध्यम अथवा ई-मेल से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेजों की स्वयं अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज के अधिकारिक वेबसाईट **https://balrampur.dcourts.gov.in** से डाउनलोड की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे।

2. डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात् विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

3. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि, वे आवेदन में चस्पा नवीनतम फोटोग्राफ की अतिरिक्त प्रतियां भी रखें। प्रवेश पत्र में आवेदन पत्र में चस्पा फोटोग्राफ की अतिरिक्त प्रति को ही चस्पा करे। आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र में चस्पा फोटो में भिन्नता पाये जाने पर उन्हे परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है।

4. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई-स्कूल/हायर-सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

5. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय एवं अशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियुक्ति विभाग प्रमुख/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हुआ तो उनका चयन नहीं किया जा सकेगा।

6. अभ्यर्थी, आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लेवें अन्यथा बाद में आवेदन पत्र से भिन्न

(अध्यक्ष)
भर्ती समिति
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)

प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, साथ ही इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

7. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता की स्पष्ट और सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय अभ्यर्थी की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यवसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/समाप्त की जा सकेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर अभ्यर्थी के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे बिना जांच के सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

8. प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें, यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्ण के आधार पर अभ्यर्थी को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन की किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

9. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए दो लिफाफे जिसे पर रू. 5-5 (पांच-पांच रूपये) का डाक टिकट चस्पा हो आवश्यक रूप से संलग्न करें, यदि अभ्यर्थी द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता तो परीक्षा के संबंध में सूचना यदि डाक के माध्यम से भेजा जाता है तो, सूचना प्राप्त नहीं होने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा, इसकी जवाबदारी कार्यालय की नहीं होगी।

10. स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड-3 (निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक) के एक से अधिक या दोनों पदों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(सहायक ग्रेड-3 के निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक उक्त सभी पद पृथक-पृथक न होकर एक ही समकक्ष पद हैं, जिसके लिए एक ही आवेदन देना होगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा सहायक ग्रेड-3 के पद के लिए एक से अधिक आवेदन पेश कर दिया जाता है और त्रुटिवश पृथक-पृथक प्रवेश पत्र जारी हो जाता है तो यह जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी कि वे एक ही पद के लिए दो बार कौशल परीक्षा में सम्मिलित न हो। कौशल परीक्षा में दो बार सम्मिलित होने की दशा में उम्मीदवार को चयन हेतु अपात्र माना जावेगा और उसके विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही भी की जा सकेगी।)

11. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण से संबंधित सूचना यदि, डाक के माध्यम से भेजा जाता है तो निर्धारित समयावधि के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो जिला न्यायालय, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज की अधिकारिक वेबसाइट **https://balrampur.dcourts.gov.in** पर अपलोड किये गये सूचना के आधार पर अभ्यर्थी उपस्थित हो सकेगा। किसी भी चरण में उपस्थित होने पर अभ्यर्थी को अपना पहचान पत्र (ID Proof) के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी/आधार कार्ड/ पैन कार्ड/स्मार्ट कार्ड एवं अन्य वैध दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा।

(अध्यक्ष)
भर्ती समिति
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)

नियुक्ति हेतु चयन विधि

1. स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) तथा सहायक ग्रेड-3 (निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक) के रिक्त पदों हेतु :-

प्रथम भाग लिखित परीक्षा

उक्त सभी पदों हेतु यदि 1 पद के विरूद्ध 20 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो सीधा कौशल परीक्षा लिया जावेगा, 20 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) द्वारा गठित भर्ती समिति द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र सहउत्तर पुस्तिका होगा जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का दो-दो अंक होगा। इस तरह यह लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प होंगे जिसमें से सही विकल्प का चुनाव करना होगा। लिखित परीक्षा से संबंधित अन्य दिशा-निर्देश लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में दिया जावेगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, तार्किक, कम्प्यूटर आदि के अंतर्गत होंगे, उक्त परीक्षा की अवधि 01:30 घण्टे की होगी। मुल्यांकन में ऋणात्मक अंक नहीं होगा। 20 गुना से कुछ अधिक आवेदन पत्र होने पर समिति का निर्णय ही मान्य होगा। लिखित परीक्षा में प्राविण्य सूची वर्गवार/श्रेणीवार तैयार की जावेगी। अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थीयों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। लिखित परीक्षा मात्र अभ्यर्थी की छटनी हेतु होगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक की गणना प्राविण्य सूची तैयार करते समय नहीं की जायेगी। केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राविण्य सूची पृथक-पृथक श्रेणीवार/वर्गवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होने की स्थिति में भर्ती समिति का निर्णय मान्य होगा।

द्वितीय भाग कौशल परीक्षा

लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्राविण्यता के क्रम में रिक्त पदों के 20 (बीस) गुना उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड-3 (निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक) के कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) कौशल परीक्षा हेतु :-

अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 05 मिनट का अंग्रेजी श्रुतलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समय सीमा अवधि में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा।

कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (Libreoffice) में Unicode Font/Kruti dev में ली जावेगी। जो 50 अंक का होगा।

सहयक ग्रेड-3 (निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक) कौशल परीक्षा हेतु :-

उम्मीदवारों को 5000 की (Key) डिप्रेशन का 250 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/2 अंक काटा जावेगा जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा।

(अध्यक्ष)
भर्ती समिति
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)

कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (Libreoffice) में Unicode Font/Kruti dev में ली जावेगी। जो 50 अंक का होगा।

स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) एवं सहयक ग्रेड-3 (निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक) हेतु

चयन प्रक्रिया की अन्य शर्तें :-

1. भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जारी विज्ञापन में यदि कोई त्रुटि या विरोधाभाष पाया जाता है तो भर्ती समिति का निर्णय मान्य होगा।

2. विज्ञापित सभी पदों हेतु कौशल परीक्षा के आयोजन उपरांत चयन समिति पृथक-पृथक वर्गवार/श्रेणीवार चयन/प्रतीक्षा सूची तैयार कर बंद लिफाफा में नियुक्तिकर्ता अधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) को प्रेषित करेगी। चयन सूची के अनुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की प्रतिक्षा सूची जारी की जावेगी जो अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर पद से त्यागपत्र देता है या उसे पदमुक्त कर दिया जाता है, मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतिक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।

3. सभी पदों हेतु कौशल परीक्षा में 33 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अपात्र माना जावेगा।

4. विज्ञापित सभी पदों हेतु प्रतीक्षा सूची 1/3 के अनुपात में जारी किया जावेगा। प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी को चयन किये जाने की स्थिति में भर्ती समिति की अनुशंसा अनिवार्य नहीं होगी।

5. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23 मु0म0नि0/2014/1-7 दिनांक 23.08.2014 व एफ-13-2/2012/आ.प्र./1-3, नया रायपुर दिनांक 23.07.2016 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।

6. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, जन्मतिथि भी सामान होने पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यथा स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड-3 संवर्ग (निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक) हेतु स्नातक में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।

7. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) को होगा।

8. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पंत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रति के अभाव में उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

9. चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। जिला चिकित्सालय

(अध्यक्ष)
भर्ती समिति
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज

बलरामपुर अथवा अन्य चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य (Fitness) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर से कराए जाने पर विपरीत प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जावेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

10. नियुक्ति, आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा रीट पिटीशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाला अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन किया जावेगा।

11. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।

12. चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

13. चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

14. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति न्यायिक जिला बलरामपुर स्थान रामानुजगंज के अंतर्गत किसी भी बाह्य न्यायालयों में की जा सकेगी तथा चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति स्थल पर निवास करना आवश्यक होगा।

15. उपरोक्त विज्ञापन में दर्शित रिक्त पदों की संख्या किसी भी समय बढ़ाया या कम किया जा सकेगा।

16. अभ्यर्थियों के चयन का आधार कौशल परीक्षा के प्राप्तांक रहेगें जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। आयु भी समान होने पर चयन समिति का निर्णय मान्य होगा।

अन्य आवश्यक सूचनाएं :-

1. कोई अभ्यर्थी यदि स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड-3 (निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक) में से दो या सभी पदों के लिए आवेदन करता है और यदि सभी पदों हेतु लिखित परीक्षा एक ही दिन आयोजित की जाती है, तो लिखित परीक्षा का प्राप्तांक अभ्यर्थी द्वारा भरे गये सभी पद के लिये मान्य होगा, यदि सभी पदों हेतु पृथक-पृथक लिखित परीक्षा आयोजित किया जाता है तो अभ्यर्थी को सभी पद हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में पृथक-पृथक सम्मिलित होना अनिवार्य है।

2. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

3. भर्ती प्रक्रिया से संबंधित चयन एवं प्रतीक्षा सूची के आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी आवेदन पत्र अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होगें। उक्त अवधि के पश्चात् सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

4. उपयुक्त पाए गए तथा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों से संबंधित उम्मीद्वारों की पृथक-पृथक सूची जिला न्यायालय के अधिकारिक वेबसाईट **https://balrampur.dcourts.gov.in** एवं सूचना-पटल पर उपलब्ध करायी जायेगी। निरस्त किए गए आवेदन पत्रों पर दावा आपत्ति सात दिवस के भीतर दावा

(अध्यक्ष)
भर्ती समिति
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)

संबंधित दस्तावेज के साथ कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

योग्य पाये गये उम्मीदवारों को उनका प्रवेश पत्र डाक द्वारा उनके पते पर भेजा जावेगा, किन्तु समय पर उन्हें प्राप्त न होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र जिला न्यायालय के अधिकारिक वेबसाईट **https://balrampur.dcourts.gov.in** *से भी डाउनलोड कर सकते हैं।*

(अध्यक्ष)
भर्ती समिति
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.)

अनुमोदित

22/7/25

Principal District & Sessions Judge
Balrampur At Ramanujganj(C.G.)

आवेदन पत्र

न्यायिक जिला स्थापना, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज के अंतर्गत स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड-3 (निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक) के रिक्त पदों हेतु

(प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करें)

आवदेक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम ....
2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में) ....
   (अंग्रेजी के ब्लाक लेटर्स में) ....
3. लिंग- पुरूष, संकेतांक-1, महिला संकेतांक-2 [ ]
4. राष्ट्रीयता ....
5. पिता/पति का नाम ....
6. अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता ....
   (हिन्दी में) ....
   ....

   ब) स्थायी पता (वर्तमान पता एवं स्थायी पता यदि समान है तो "तदैव" लिखें)
   ....
   ....
   ....
7. अ) जन्म तिथि - अंको में [| | | | | | |]

   शब्दों में ....

   ब) दिनांक 01/01/2026 को आयु:- वर्ष [ ] माह [ ] दिन [ ]
8. क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हां/नहीं [ ]
   (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
9. क्या अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं [ ]
   (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।

11. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है? हां/नहीं
दिव्यांगता का प्रकार व प्रतिशत अंकित करें ....
(यदि हां, तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

12. क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

13. रोजगार कार्यालय की जीवित पंजीयन क्रमांक ____________ दिनांक ________

14. रोजगार कार्यालय का नाम ....
अगला नवनीकरण का दिनांक ....

15. क्या अभ्यर्थी विवाहित है- हां/नहीं, यदि हां तो विवाह दिनांक को आयु ....

16. क्या आवेदक का एक से अधिक जीवित पति/पत्नि है- हां/नहीं, ...

17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता (प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

18. कार्यानुभव विवरण (प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति यदि कोई हो संलग्न करें) :-

क्र.	पद का नाम	संस्था का नाम	नियुक्ति दिनांक	कुल सेवा का वर्ष	रिमार्क
1.					
2.					
3.					

19. क्या अभ्यर्थी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

20. यदि अभ्यर्थी का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित हो या उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो तो उसका विवरण ....

21. क्या आप निर्धारित आयुसीमा में छूट चाहते हैं? हां/नहीं ☐

22. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-

1.	....	2.	....
3.	....	4.	....
5.	....	6.	....
7.	....	8.	....
9.	....	10.	....
11.	....	12.	....

<u>टीप</u> :- स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य किये जावेंगे। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

//घोषणा पत्र//

मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि, मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि नहीं किया गया है। इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न दस्तावेज मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है और यदि जानकारी/दस्तावेज, मिथ्या पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति/चयन निरस्त किये जाने योग्य होगी। मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता

दिनांक ....
स्थान ....
मोबाईल नं. ....

....
....
....